भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 686
जिसका उत्तर बुधवार, 20 नवम्बर, 2019 को दिया जाना है

**न्यायालयों में अवसंरचना का अभाव**

686. **श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे :**
**श्री रवनीत सिंह :**
**श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू :**
**श्री पी.पी. चौधरी :**
**श्रीमती प्रतिमा भौमिक :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र तथा राजस्थान समेत विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में अधीनस्थ न्यायालयों में उपयुक्त न्यायालय भवनों/कक्षों तथा आवासीय क्वार्टरों समेत पर्याप्त अवसंरचना का अभाव है ;

(ख) यदि हां, तो जिला-व तालुका-वार, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) अधीनस्थ न्यायालयों में पर्याप्त अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत जारी धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या राजस्थान, त्रिपुरा तथा महाराष्ट्र समेत राज्यों में अधीनस्थ न्यायालयों में अवसंरचना के उद्देश्य के लिए किसी केंद्रीय योजना के अंतर्गत किसी राशि का जारी किया जाना लंबित है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) निचली अदालतों के सामने आने वाली अवसंरचना से जुड़ी चुनौतियों से निपटने में राज्य सरकारों की मदद करने में सरकार के सामने कौन-सी समस्याएं आ रही हैं तथा उनके निवारण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**उत्तर**
**विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री**
**(श्री रविशंकर प्रसाद)**

**(क) और (ख) :** उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर 17,342 न्यायिक अधिकारियों की कार्यरत पद संख्या हेतु देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालायों के लिए 19,414 न्यायालय हॉल उपलब्ध हैं । इसके अतिरिक्त, 2,822 न्यायालय हॉल निर्माणाधीन हैं। 17,103 आवासीय इकाईयां अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए उपलब्ध हैं और 1,869 आवासीय इकाईयां निर्माणाधीन हैं। उपलब्ध और निर्माणाधीन न्यायालय हॉल, आवासीय इकाईयां और महाराष्ट्र तथा राजस्थान सहित देश में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों के कार्यरत पदों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला एक विवरण **उपाबंध-1** में दिया गया है ।

**(ग) :** न्यायापालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम वर्ष 1993-94 से कार्यान्वित की जा रही है, जिसके अधीन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के न्यायालय भवन और आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गई है । स्कीम के शुरूआत से 7453.10 करोड रूपये की रकम स्वीकृत की गई है जिसमें से 4008.80 करोड रूपये वर्ष 2014-15 से स्वीकृत किये गये जो स्कीम के अधीन कुल जारी की गई रकम का लगभग 54 प्रतिशत है । स्कीम के

अधीन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को जारी की गई निधियों का राज्य-वार दर्शाने वाला विवरण **उपाबंध** में दिया गया है।

**(घ) :** चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय रुप में प्रायोजित स्कीम के अधीन 710.00 करोड रूपये आवंटित किया गया है। जिसमें से 702.86 करोड रूपये तारीख 14.11.2019 तक जारी किये जा चुके है। जम्मू-कश्मीर राज्य के द्विभाजन के कारण 7.14 करोड़ जारी करने के लिए विधारित किया गया है। राजस्थान, त्रिपुरा और महाराष्ट्र को जारी की गई निधियां सहित राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को जारी की गई राज्यवार निधियों को दर्शाने वाला विवरण **उपाबंध-2** पर दिया गया है।

**(ङ) :** यह राज्य सरकारों का प्राथमिक उत्तरदायित्व है कि वह अपने संबंधित राज्यों में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए न्यायिक अवसंरचना मुहैया कराये। पूर्वोक्त केन्द्रीय रुप से प्रायोजित स्कीम जिला और अधीनस्थ न्ययायालयों के न्यायिक अधिकारियों के न्यायालय भवनों और आवासीय इकाईयों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के संसाधनों का संवर्द्धन करने के लिए कार्यान्वित की जा रही है। पिछले पांच वषों में, न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय भवन और आवासीय इकाइयों के संबंध में पर्याप्त प्रगति हुई है। उपलब्ध न्यायालय हालों की संख्या वर्ष 2014 में 15,818 से बढकर वर्ष 2019 में 19,414 तक हो गई है और उपलब्ध आवासीय इकाइयों की संख्या वर्ष 2014 में 10,211 से बढकर वर्ष 2019 में 17,103 तक हो गई है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत पद संख्या 23,566 के साथ न्यायालय हॉलों और आवासीय इकाइयों की उपलब्धता के अनुरुप होने पर अब ध्यान केन्द्रित है।

**********

उपाबंध-1

**लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 686 जिसका उत्तर तारीख 20.11.2019 को दिया जाना है का निर्दिष्ट विवरण।**

**उपलब्ध और निर्माणाधीन न्यायालय हॉल, आवासीय इकाइयों और न्यायिक अधिकारियों की कार्यरत पद संख्या को दर्शाने वाला राज्य-वार विवरण।**

| क.सं. | राज्य / संघ-राज्य क्षेत्र | कुल कार्यरत पद सं. | कुल न्यायायलय हॉल | निर्माणाधीन कुल न्यायालय हॉल | कुल आवासीय इकाइयाँ | निर्माणाधीन कुल आवासीय इकाइयाँ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अंदमान और निकोबार | 12 | 17 | 0 | 10 | 2 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 530 | 602 | 50 | 604 | 1 1 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 27 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 4 | असम | 388 | 371 | 67 | 294 | 31 |
| 5 | बिहार | 361 | 1485 | 159 | 1094 | 280 |
| 6 | चंडीगढ़ | 29 | 31 | 0 | 30 | 0 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 394 | 462 | 31 | 408 | 18 |
| 8 | दादर और नागर हवेली | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | दमण और दीव | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 10 | दिल्ली | 680 | 529 | 90 | 350 | 70 |
| 11 | गोवा | 43 | 55 | 28 | 27 | 4 |
| 12 | गुजरात | 1183 | 1501 | 165 | 1292 | 84 |
| 13 | हरियाणा | 479 | 551 | 81 | 499 | 100 |
| 14 | हिमाचल प्रदेश | 153 | 160 | 6 | 149 | 0 |
| 15 | जम्मू -कश्मीर | 232 | 202 | 35 | 123 | 38 |
| 16 | झारखंड | 463 | 601 | 61 | 567 | 63 |
| 17 | कर्नाटक | 1104 | 1095 | 49 | 1110 | 14 |
| 18 | केरल | 461 | 510 | 37 | 476 | 0 |
| 19 | लक्षद्वीप | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 1505 | 1445 | 406 | 1459 | 237 |
| 21 | महाराष्ट्र | 1937 | 2257 | 322 | 2038 | 173 |
| 22 | मणिपुर | 39 | 38 | 9 | 16 | 1 |
| 23 | मेघालय | 49 | 53 | 35 | 23 | 33 |
| 24 | मिजोरम | 46 | 43 | 26 | 29 | 8 |
| 25 | नागालैंड | 27 | 37 | 0 | 39 | 2 |
| 26 | ओडिशा | 773 | 636 | 201 | 608 | 85 |
| 27 | पुडुचेरी | 1 1 | 29 | 7 | 23 | 6 |
| 28 | पंजाब | 582 | 557 | 52 | 527 | 48 |
| 29 | राजस्थान | 1122 | 1152 | 210 | 1028 | 5 |
| 30 | सिक्किम | 19 | 20 | 1 | 14 | 1 |
| 31 | तमिलनाडु | 1087 | 1095 | 116 | 1216 | 55 |
| 32 | तेलंगाना | 334 | 448 | 28 | 417 | 1 |
| 33 | त्रिपुरा | 95 | 73 | 23 | 85 | 13 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 2012 | 2278 | 332 | 1937 | 401 |
| 35 | उत्तराखंड | 227 | 228 | 72 | 185 | 10 |
| 36 | पश्चिमी बंगाल | 928 | 818 | 123 | 391 | 75 |
| **कुल** | | **17342** | **19,414** | **2822** | **17103** | **1869** |

**********

**उपाबंध-2**

**लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 686 जिसका उत्तर तारीख 20.11.2019 को दिया जाना है का निर्दिष्ट विवरण। न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रुप से प्रायोजित स्कीम के अधीन राज्यवार जारी निधि को दर्शाने वाला विवरण।**

**(रु. लाख में)**

| **क्र.सं.** | **राज्य / संघ-राज्य क्षेत्र** | **स्वीकृत निधि (1993-94 से 2019-20 तक)** |
|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 17964.45 |
| 2 | बिहार | 33725.72 |
| 3 | छत्तीसगढ़ | 10132.07 |
| 4 | गोवा | 1520.93 |
| 5 | गुजरात | 53415.42 |
| 6 | हरियाणा | 18383.42 |
| 7 | हिमाचल प्रदेश | 4112.00 |
| 8 | जम्मू - कश्मीर | 19481.60 |
| 9 | झारखंड | 18520.52 |
| 10 | कर्नाटक | 66077.85 |
| 11 | केरल | 13251.30 |
| 12 | मध्य प्रदेश | 47745.04 |
| 13 | महाराष्ट्र | 68083.86 |
| 14 | ओडिशा | 14843.27 |
| 15 | पंजाब | 51809.92 |
| 16 | राजस्थान | 22672.51 |
| 17 | तमिलनाडु | 23611.46 |
| 18 | तेलंगाना | 1565.00 |
| 19 | उत्तराखंड | 13619.16 |
| 20 | उत्तर प्रदेश | 110,160.57 |
| 21 | पश्चिमी बंगाल | 20352.46 |
| 22 | अरुणाचल प्रदेश | 5025.44 |
| 23 | असम | 20134.30 |
| 24 | मणिपुर | 7694.71 |
| 25 | मेघालय | 11147.00 |
| 26 | मिजोरम | 6820.29 |
| 27 | नागालैंड | 11116.64 |
| 28 | सिक्किम | 5165.39 |
| 29 | त्रिपुरा | 8435.45 |
| 30 | अंदमान और निकोबार द्वीप | 1486.23 |
| 31 | चंडीगढ़ | 3900.95 |
| 32 | दादरा और नगर हवेली | 706.25 |
| 33 | दमन और दीव | 232.43 |
| 34 | दिल्ली | 26106.40 |
| 35 | लक्षद्वीप | 51.25 |
| 36 | पुडुचेरी | 6239.56 |
| **कुल** | | **745,310.82** |

**********